सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 273

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 17 जुलाई, 2023

विषय: सदस्य, जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 जून, 2023 को आयोजित 152वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

(Minutes of the 152nd Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 30 June, 2023 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

सदस्य, जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 30 जून, 2023 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 152वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त

भवदीया,

17/5/2023

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.06.2023 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित 152वीं बैठक का कार्यवृत्त

सदस्य, जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 152वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 152वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है कि हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तथा उससे अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शतप्रतिशत सरकारी कामकाज हिंदी में करने का निदेश दिया गया है। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव महोदया ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की आगे की कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि पिछली बैठक 31 मार्च, 2023 को हुई थी और उसके कार्यवृत्त 12 अप्रैल, 2023 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। सदस्य सचिव महोदया ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछली बैठक की मदों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर मदवार चर्चा शुरू की:-

1. सदस्य सचिव महोदया ने कहा कि पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय जल आयोग के निदेशानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और आयोग के सभी स्कंधों/निदेशालयों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शतप्रतिशत काम हिंदी में करने का निदेश देते हुए 31 मार्च, 2023 को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा 03 अप्रैल, 2023 को मुख्यालय के सभी अनुभागों को पत्र भेज दिया गया था और उनसे 01 से 15 अप्रैल, 2023 तक की सूचना मांगी गई थी। पुन: अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के निदेशानुसार 01 अप्रैल, 2023 को निदेशक, तकनीकी समन्वय की अध्यक्षता में राजभाषा प्रयोग की समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई जिस पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई। पुन: अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के निदेशानुसार 01 जून से 21 जून, 2023 तक हिंदी में किए गए कार्यों का विवरण मंगाया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही समीक्षा बैठक की जाएगी। अध्यक्ष महोदय ने केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के अनुभागों/निदेशालयों को निदेश दिया कि 01-21 जून, 2023 की अवधि की रिपोर्ट तत्काल हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाईः के.ज.आ.(मु.) के सभी स्कंध/निदेशालय/अनुभाग/सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

2. सदस्य सचिव महोदया ने सूचित किया कि अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय के निदेशानुसार हिंदी में टिप्पण लिखने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा वाक्यांशों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची को आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/आयोग (मुख्यालय) के सभी अनुभाग एवं निदेशालय इसका उपयोग कर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें।

(कार्रवाईः केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी स्कंध/निदेशालय/अनुभाग)

3. परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा (मुख्यालय) के विभिन्न

स्कंधों/निदेशालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण किया जाए। इस पर सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राजभाषायी निरीक्षण कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन निरीक्षणों के दौरान इन कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में इन कार्यालयों को उचित मार्ग निर्देशन भी दिया जाए। उन्होंने निदेश दिया कि भविष्य में भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण कार्य संपन्न किए जाएं।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

4. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक है कि इन कार्यालयों में कंसल्टेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए ताकि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा क्रियान्वयन संबंधी कार्यों को समुचित रूप से निष्पादित किया जा सके और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने स्थापना-7 अनुभाग को इस मामले का अनुवर्तन (फालोअप) करने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः स्थापना-7 एवं हिंदी अनुभाग)

5. इस बैठक में वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव महोदया ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम की प्रति सभी को पहले ही परिचालित कर दी गई है। तत्पश्चात् उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2023-24) में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की और मूल पत्राचार, हिंदी टिप्पण, नियम 5, हिंदी प्रशिक्षण, पुस्तकों की खरीद, हिंदी कार्यशाला, बैठक तथा राजभाषायी निरीक्षण आदि के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों से सबको अवगत कराया और सभी को इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गहन प्रयास करने का अनुरोध किया।

(कार्रवाईः के.ज.आ. के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/आयोग (मु.) के सभी अनुभाग एवं निदेशालय)

अध्यक्ष महोदय ने केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा हिंदी के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निदेश देते हुए स्पष्ट किया कि हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हम सब मिलकर सही दिशा में प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

<u>अनुबंध - 'क'</u>

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30 जून, 2023 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित 152वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	नवीन कुमार, सदस्य, जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	बी.आर.के.पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
3.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, तकनीकी समन्वय, के.ज.आ.	सदस्य
5.	सुनील कुमार, निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना सम.निदे., के.ज.आ.	सदस्य
6.	अनंत गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
7.	फहीम हैदर, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	ए.के.मधोक, उप निदेशक, डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
9.	वि.कुमार, उप निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभि. एवं अनुसंधान सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	राम किशोर सारस्वत, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग